झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–51 / 2020

राखाल सरदार .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री माधव प्रसाद, अधिवक्ता।

राज्य के लिए : ए0पी0पी0।

आदेश सं0 04 दिनांक 28वीं जनवरी, 2020

याचिकाकर्त्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए0पी0पी0 को सुना।

याचिकाकर्त्ता, आदित्यपुर थाना काण्ड संख्या 51 वर्ष 2018 (जी0आर0 संख्या 193 वर्ष 2018) से उद्भूत एस0टी0 वाद संख्या 84 वर्ष 2018 में एक अभियुक्त हैं

सूचक और उसके दोस्त को बदमाशों ने लूट लिया और मोबाइल फोन, 100 / – रू0 की नकदी, पैन कार्ड आदि लूट लिए गए। ऐसा लगता है कि याचिकाकर्त्ता को उसके स्वयं कबूलने पर फंसाया गया है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि लूटे गए सामान हरि कालिंदी और रावण लोहार से बरामद किए गए थे। याचिकाकर्त्ता 20.02.2018 से हिरासत में है।

अभिरक्षा की अवधि को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्त्ता को 10,000/– (दस हजार रूपये) के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सरायकेला की संतुष्टि पर, आदित्यपुर थाना काण्ड संख्या 51 वर्ष 2018 (जी0आर0 संख्या 193 वर्ष 2018) से उद्भूत एस0टी0 वाद संख्या 84 वर्ष 2018 में जमानत पर छोड़ने का निर्देश दिया जाता है बशर्ते कि याचिकाकर्त्ता विचारण की समाप्ति तक प्रत्येक तिथि को विचारण न्यायालय के समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित रहेंगे।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)